(b) whether modalities of trade have been finalised;

(c) if so, what are the details thereof country-wise and if not, the reasons therefor;

(d) whether Government also propose to explore possibilities of counter trade with these countries; and

(e) if so, details thereof and if not, reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (e) Within the framework of the existing trade agreements with USSR (valid upto 1995), Romania (valid upto Oct., 1992) and Czechoslovakia (valid upto Dec. 1992), annual trade protocols with these countries will be finalised by Dec., 1991 or early 1992. The possibilities of counter—trade are considered on merits while finalising the protocols. A trade agreement with Madagascar valid for two years from 1992 would also be finalised.

निर्यातकों को दी जाने वाली नकद आवश्यक सहायता की बकाया राशि

1036. **डा० अबरार अहमद :** क्या वणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकों को दी जाने वाली नकद आवश्यक सहायता की कितनी राशि बकाया है और यह राशि कब से बकाया है तथा इसका अब तक भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं और इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार इस वजह से निर्यातकों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगी अथवा उक्त भुगतान करने में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ; और

(ग) किन-किन निर्यातकों को नकद आवश्यक सहायता की बकाया राशि देय है तथा प्रत्येक निर्यातक को कितनी बकाया राशि देय है ।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) दिनांक 2-7-91 को जब सी सी एस योजना समाप्त की गई तब तक निर्यातकों द्वारा किये गये निर्यात के लिए उनके सी सी एस दावों की लगभग 550/- करोड़ रुपये की राशि बकाया आंकी गई है। निधियों की अपर्याप्तता के कारण इनको भुगतान नहीं किया जा सका । शीघ्र ही, जब मंत्रालय के पास निधि उपलब्ध होगी, उनका भुगतान कर दिया जाएगा ।

(ख) चूंकि नकद मुआविजा सहायता योजना में विलम्ब से अदायगी होने पर किसी तरह की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं है इसलिए भुगतान न करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है :

(ग) सीसीएस भुगतान के तथ्यात्मकवार ब्यौरे सी सी एस के भुगतान के बाद ही रखे जाते हैं । इसलिए इस स्तर पर इस तरह के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

Simplification of Export

1037. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what steps are being taken to simplify exports and make the export procedure in tune with the global market;

(b) by when will the paper work for exports be the same as in U.S.A., U.K. or Japan;

(c) the time by when the country expects trade surplus, and what is the projection year by year; and

(d) what is the annual interest charges on our foreign borrowing?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) (i) A number of items have been decontrolled for export which were earlier on the banned, ceiling, merit, OGL or on canalised list. This eliminates the need for licences and related procedural formalities In respect of these items.